

प्रारूप ए.ई. - 5

(विस्फोटक नियम 2008 का नियम 113 देखिये)

अनुसूची IV के भाग 1 के अनुच्छेद 5 (क) से (च) के अनुसार प्रारूप एल.ई. 5 में अनुज्ञप्ति के अनुमोदन या अनुदान या संशोधन या अंतरण के लिए आवेदन

श्रीमान _____

में _____ की ओर से निम्नलिखित प्रयोजन के लिए अनुज्ञप्ति के अनुमोदन या संशोधन के लिए आवेदन करता हूँ ।

1. प्रयोजन : (अनुसूची IV भाग 1 के अनुसार विशिष्ट वस्तु) का तत्स्थानी प्रयोजन लिखिए)

.....
.....
.....

2. नाम : मुझे अनुज्ञप्ति निम्नलिखित नाम और डाक पते पर अपेक्षित है :-

(क) नाम, जिसमें अनुज्ञप्ति अनुदत्त किए जाने की अपेक्षा की गई है (नीचे टिप्पणी देखिए)

(ख) प्रास्थिति⁽¹⁾

(ग) आयु⁽²⁾

(घ) डाक पता

पुलिस थाना

जिला राज्य पिनकोड

फोन ईमेल फेक्स

3. प्रस्तावित परिसर निम्नलिखित पते पर स्थित है :-

.....
.....
..... पुलिस थाना

जिला राज्य पिनकोड

फोन ईमेल फेक्स

4. कब्जा रखे जाने के लिए प्रस्तावित विस्फोटक :

नाम और वर्णन

वर्ग

प्रभार, यदि कोई हो

एक समय में मात्रा

(i)

(ii)

(iii)

5. यदि विस्फोटक प्रयुक्त किए जाने हैं तो प्रयोग के प्रयोजन से सम्बद्ध विशिष्टियाँ दें।

6. क्या आवेदक को पिछले 10 वर्षों के दौरान दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 8 के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है या बंधपत्र निष्पादित करने का आदेश दिया गया है ?

7. (क) विस्फोटक अधिनियम, 1884 के अधीन अनुज्ञप्ति की विशिष्टियाँ, यदि आवेदक द्वारा पिछले 10 वर्षों के दौरान धारित कोई धारित की गई हो।

(ख) क्या किसी अनुज्ञप्ति को रद्द किया गया था या नवीकृत नहीं की गई थी ?

(ग) यदि हाँ, ब्यौरे दें

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा ऊपर दी गई विशिष्टियाँ सही हैं।

तारीख

आवेदक के हस्ताक्षर

(कंपनी की दशा में प्राधिकृत व्यक्ति)

पूरा नाम

पता

अर्जी नवीस
गौतम माणलिक (जैन)
शाजापुर (म.प्र.)